To,

The Registrar (General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi

No: 822/G/OA-511/2023 Date: 26.10.2023

Subject: Action Taken Report in compliance of order dated 21.08.2023 passed by Hon'ble NGT in OA No 511/2023 titled by Priyank Bharati Versus State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following direction-

....*"8. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report with records within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support. The Committee will provide factual status on notification and demarcation of river Budhi Ganga and accordingly identifying the extent of encroachments and application of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order 2016. The Committee may further furnish status of discharge of sewage and other waste in river Budhi Ganga before its joining to river Ganga nearly Garhmukteshwar."*

In compliance of the above said order, the factual and action taken report is attached herewith.

With regards,

Enclosure: Action Taken Report.

Yours faithfully,

BPYadav

(Bhuvan Prakash Yadav)
Regional Officer
UPPCB, Meerut

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–511/2023 में पारित आदेश दि0–21.08.2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति की जांच आख्या।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0संख्या 511/2023 प्रियांक भारती बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक–21.08.2023 के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, मवाना, अधिशासी अभियंता(ड्रेनेज/गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ व क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा दिनांक–17/10/2023 को स्थल निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के समय प्राप्त सूचना के अनुसार बूढी गंगा (Old Tributary of Ganga river) गंगा नदी की एक पुरानी धारा है। यह धारा गंगा नदी के निर्धारित फ्लड प्लेन जोन के अन्तर्गत ही आती है। जानकारी के आधार पर गंगा नदी पूर्व में यहॉ तक ही बहती थी। बाढ काल के दौरान गंगा नदी जब उच्च बाढ स्तर (H.F.L.) पर बहती है तो उस दौरान गंगा नदी का जल इस धारा तक स्वतः ही बहता है और बाढ काल के पश्चात अक्टूबर माह में जब गंगा नदी का जलस्तर निम्न होता है तो इस पुरानी धारा में क्षेत्र के सीपेज का पानी ही प्रवाह होता है, जो एक प्राकृतिक ड्रेन के रुप में बहने लगता है यह जनपद मुजफ्फरनगर के देवल ग्राम के समीप Low Land Area से निकलकर ग्राम अहमदवाला, नासिरपुर, महमूदपुर मुँगेर के समीप से होते हुए ग्राम शाहपुर सुल्तानपुर के पास से निकलकर एक प्राकृतिक ड्रेन जो सोती ड्रेन के नाम से जानी जाती है, में मिलकर चेतावाला पुल के डाउनस्ट्रीम में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। उसके आगे जनपद मेरठ में द्रौपदी मन्दिर के पास से होते हुए ग्राम लुक्काहेड़ी, किशोरपुर, व जलालपुर जोरा, से निकलते हुए ग्राम कुण्डा के समीप गंगा नदी में पुनः समाहित हो जाती है, फिर कुछ दूरी के बाद भूमि का तल नीचा (Low Land Area) होने के कारण यह फिर प्राकृतिक धारा के रुप में बहने लगती है, तदोपरान्त कुछ ग्रामों जैसे बाघपुर, खरखाली, शिवनगर, शाहीपुर व चॉदपुर, आदि से निकलते हुए ग्राम मिश्रीपुर, माखनपुर, शाकरपुर, कुड़ैनी की मढैया, के समीप पुनः गंगा नदी में ही समाहित हो जाती है। इस प्रकार वहॉ की भौगोलिक/वस्तुस्थिति के अनुसार यह बीच–बीच में प्राकृतिक ड्रेन के रुप में बहती है। अतः उक्त के दृष्टिगत बूढी गंगा अलग से कोई नदी न होकर गंगा नदी की एक पुरानी धारा है।

सिंचाई विभाग के अनुसार बूढ़ी गंगा से संबंधित कोई नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं है तथापि Area Plan of Ganga River in District Muzaffarnagar, Meerut & Hapur की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)

कमश....2...

निरीक्षण के समय पाया गया कि नगर पंचायत हस्तिनापुर क्षेत्र से जनित घरेलू उत्प्रवाह घरों में बने सोकपिट/सेप्टिक टैंक के उपरांत नाले के माध्यम से हस्तिनापुर क्षेत्र में प्रवाहित सिंचाई विभाग की नहर(मध्य गंगा कैनाल) के नीचे से साइफन के द्वारा निकलकर आगे की ओर एक लो लैण्ड क्षेत्र(दलदलनुमा) में समाहित होता है। इस लो लैण्ड क्षेत्र में मध्य गंगा कैनाल से विकसित अकबरपुर स्केप भी प्रवाहित होता है। अंततः लो लैण्ड एरिया के पश्चात अकबरपुर स्केप पहाड़पुर कुतुम ग्राम के समीप गंगा नदी में मिल जाती है।

हस्तिनापुर क्षेत्र में जल प्रदूषणकारी इकाई स्थापित नहीं है। किसी भी प्रकार के औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्र का घरेलू उत्प्रवाह बूढ़ी गंगा में निस्तारित नहीं होता है। नगर पंचायत हस्तिनापुर द्वारा इस नाले में प्रवाहित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह के शुद्वीकरण की व्यवस्था नहीं की गयी है। अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हस्तिनापुर को नाले का फर्टिरिमियेडेशन/बायोरेमेडियेशन करने हेतु शासन स्तर/राज्य बोर्ड स्तर से निर्देश जारी किये गये हैं । निर्देश पत्रों की छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–2)**।

बूढ़ी गंगा के क्षेत्र में अतिकमण के संबंध में उपजिलाधिकारी, मवाना से प्राप्त आख्या संलग्न है **(संलग्नक–3)**।

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ

(प्रमोद कुमार)
अधिशासी अभियंता(ड्रेनेज/गंगा),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
मेरठ

(अखिलेश सिंह)
उपजिलाधिकारी
मवाना

संलग्नक–1

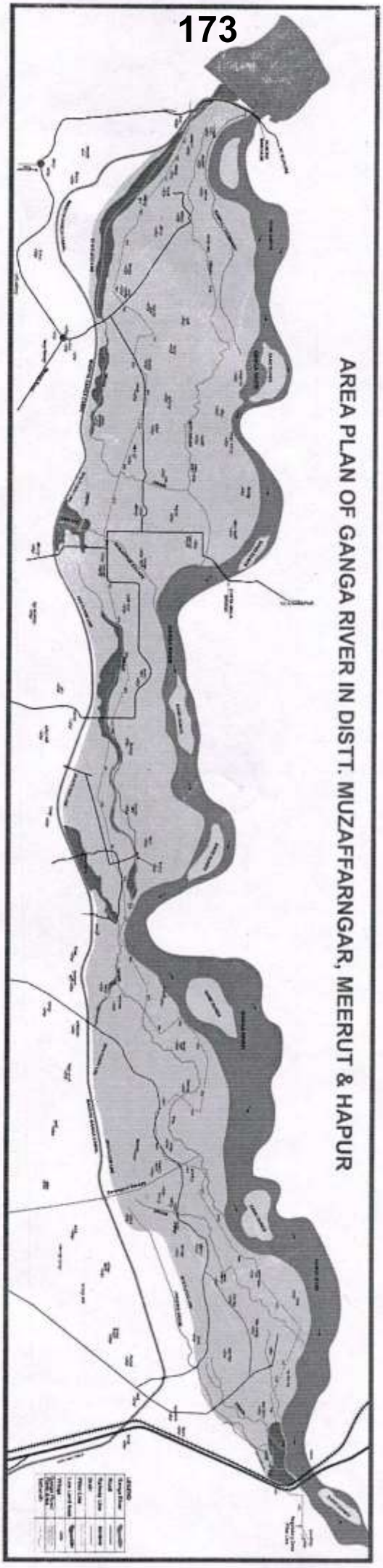
AREA PLAN OF GANGA RIVER IN DISTT. MUZAFFARNGAR, MEERUT & HAPUR

संलग्नक–2

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 1812/G/OA-200/M.C. Mehta/2023 दिनांक– 3-3-23.

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ ।
2. अधिशासी अधिकारी, मेरठ छावनी परिषद, मेरठ ।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मवाना/सरधना ।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लावड़/खरखौदा/बहसूमा/हस्तिनापुर/ फलावदा/ दौराला/ करनावल/सिवालखास/किठौर/ परीक्षितगढ़/शाहजहांपुर/खिवाई ।

विषयः प्रदेश में स्थित ड्रेन्स के माध्यम से अशोधित घरेलू उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किये जाने से गंगा नदी की जलगुणता कुप्रभावित होने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव के पत्र सं0 एच079857/45/ सी–2, सामान्य – 322/22 दिनांक 16.08.2022 के संलग्न पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि प्रदेश में स्थित अनटैप्ड ड्रेन्स के माध्यम से घरेलू जल–मल का बिना उपचार किये गंगा नदी में निस्तारित होने के कारण गंगा नदी की जलगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों/जलाशयों की जल गुणता सुनिश्चित करने एवं अनटैप्ड ड्रेन्स के नदियों /जलाशयों में मिलने से पूर्व फाइटोरेमेडियेशन /बायो रेमेडियेशन के द्वारा उपचारित करने संबंधी विभिन्न वादों के अंतर्गत समय–समय पर आदेश पारित किये गये हैं।

मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 22.08.2019 द्वारा अनटैप्ड ड्रेन्स से गंगा नदी में उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने तथा निर्माणाधीन एस०टी०पी० प्रोजेक्ट्स जोकि निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुये हैं, के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 16.03.2022 के अनुसार प्रदेश में कुल 333 ड्रेन्स, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में मिलती है, जिनमें से 69 ड्रेन्स की टेपिंग का कार्य किया गया है, ड्रेन्स में टेपिंग की आवश्यकता नहीं है तथा शेष 220 ड्रेन्स अनटैप्ड है । मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के पत्र दिनांक 16.03.2022 द्वारा रूपये 506 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की गयी है ।

अग्रेतर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 4003/2006 (पी०आई०एल०) रिरू गंगा पाल्यूशन बनाम उ0प्र0 राज्य व 04 अन्य में गंगा नदी की जलगुणता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 27.07.2022 को सुनवाई के दौरान गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण एवं एस०टी०पी० /सी०ई०टी०पी०

के सुचारू रूप से संचालन न किये जाने तथा निर्माणाधीन एस०टी०पी०/सी०ई०टी०पी० प्रोजेक्ट्स का समयान्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ०प्र० शासन के पत्र सं० एन०ज०टी०–310/81–7–2021–43(पर्या)/2014 टी०सी०–2 दिनांक 26.08.2021 नालों के उपचार हेतु फाइटोरेमेडियेशन पद्धति का अनुसरण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है । पत्र की छायाप्रति संलग्न ।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों / जलाशयों में मिलने वाली समस्त अनटैप्ड ड्रेन्स की पूर्णतः ड्रेन्स के नदियों / जलाशयों में मिलने से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फाइटोरेमेडियेशन के द्वारा उपचार, स्थापित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट्स/ सी०ई०टी०पी० का प्रभावी एवं सुचारूप रूप से संचालन तथा निर्माणाधीन एस०टी०पी०/ सी०ई०टी०पी० प्रोजेक्ट्स का शीघ्रतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे गंगा नदी की जलगुणता संरक्षित रहे ।

संलग्नकः यथोपरि ।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
3. परियोजना प्रबंधक, कार्यालय परियोजना प्रबंधक, नागर कार्य, इकाई–2, उ0प्र0जल निगम(नगरीय), 220, सिविल लाइन्स, मेरठ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No ....H79857 /टी-2/सामान्य-322/22 दिनाँक Date ...16-8-22

सेवा में,

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (शहरी/ग्रामीण), लखनऊ।
3. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत उ0प्र0।

विषय– प्रदेश में स्थित ड्रेन्स के माध्यम से अशोधित घरेलू उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किये जाने से गंगा नदी की जलगुणता कुप्रभावित होने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत होना चाहें कि प्रदेश में स्थित अनटैप्ड ड्रेन्स के माध्यम से घरेलू जल–मल का बिना उपचार किये गंगा नदी में निस्तारण होने के कारण गंगा नदी की जलगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 5500 एम0एल0डी0 घरेलू जलमल जनित होता है जिसके शोधन हेतु 116 सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट स्थापित है, जिनकी शोधन क्षमता 3547.34 एम0एल0डी0 है। वर्तमान में 109 एस0टी0पी0 सुचारू रूप से संचालित है। 56 एस0टी0पी0 (क्षमता 1101.05 एम0एल0डी0) निर्माणाधीन हैं तथा 32 एस0टी0पी0 (क्षमता–1415.9 एम0एल0डी0) की स्थापना प्रस्तावित है। गंगा नदी की जलगुणता संरक्षित रखने हेतु यह आवश्यक है कि जनित घरेलू जल–मल एवं शोधन क्षमता के मध्य गैप न हो तथा समस्त घरेलू जल–मल पूर्णतः टैप कर शोधित होने के पश्चात ही निस्तारित हो।

//माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों/जलाशयों की जलगुणता सुनिश्चित करने एवं अनटैप्ड ड्रेन्स के नदियों/जलाशयों में मिलने से पूर्व फाइटोरेमेडियेशन/बायो रेमेडियेशन के द्वारा उपचारित करने संबंधी विभिन्न वादों के अन्तर्गत समय–समय पर आदेश पारित किये गये हैं// मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 673/2018 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 के मुख्य अंश निम्नवत हैं–

.... 35. Vide order dated 22.08.2019 in Original Application 200/2014, dealing with the pollution of river Ganga, the Tribunal issued directions and laid down coercive measures to be taken for discharge of untreated sewage in river Ganga:-

.... All the authorities have to be stringent and depict zero tolerance to the pollution of River Ganga. Wherever STPs are not operating, immediate bioremediation and/or phyto-remediation may be undertaken if feasible. To avoid procedural delay of tender processes, etc. specifications and norms for undertaking such activities may be specified in consultation with the CPCB as was earlier directed in our order dated 29.11.2018.......

.... 17. Wherever the work has not commenced, it is necessary that no untreated sewage is discharged into the River Ganga. Bioremediation and/or phytoremediation or any other remediation measures may start as an interim measure positively from 01.11.2019, failing which the State may be liable to pay compensation of Rs. 5 Lakhs per month per drain to be deposited with the CPCB.......

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 22.08.2019 द्वारा अनटैप्ड ड्रेन्स से गंगा नदी में उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने तथा निर्माणाधीन एस0टी0पी0 प्रोजेक्टस जोकि निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुए हैं, के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरणीय

..........2/–

क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 16.03.2022 के अनुसार प्रदेश में कुल 333 ड्रेन्स, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में मिलती हैं, जिनमें से 69 ड्रेन्स की टैपिंग का कार्य किया गया है, 44 ड्रेन्स में टैपिंग की आवश्यक नहीं है तथा शेष 220 ड्रेन्स अनटैप्ड हैं। मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 16.03.2022 द्वारा रूपये 506 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0 4003/2006 (पी0आई0एल0) रि: गंगा पाल्यूशन बनाम उ0प्र0 राज्य व 04 अन्य में गंगा नदी की जलगुणता सुनिश्चित किये जाने के सम्बंध में नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 27.07.2022 को सुनवाई के दौरान गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण एवं एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 के सुचारू रूप से संचालन न किये जाने तथा निर्माणाधीन एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0. प्रोजेक्टस का समयान्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों/जलाशयों में मिलने वाली समस्त अनटैप्ड ड्रेन्स की पूर्णतः टैपिंग, ड्रेन्स के नदियों/जलाशयों में मिलने से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फाइटोरेमेडियेशन/बायो रेमेडियेशन के द्वारा उपचार, स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट्स/सी0ई0टी0पी0 का प्रभावी एवं सुचारू रूप से संचालन तथा निर्माणाधीन एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 प्रोजेक्ट्स का शीघ्रातिशीघ्र कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे गंगा नदी की जलगुणता संरक्षित रहे।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

संख्या–एन.जी.टी.–310/81–7–2021–43(पर्या)/2014 टी0सी0–2

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,
उ0प्र0।

2– समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उ0प्र0।

3– समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2021

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विभिन्न वादों में पारित आदेशों के अनुपालन में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों/जलाशयों में मिलने वाली अनटैप्ड ड्रेन्स के अंतरिम उपचार हेतु फाइटोरेमेडियेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों/जलाशयों की जलगुणता सुनिश्चित करने एवं अनटैप्ड ड्रेन्स के नदियों/जलाशयों में मिलने से पूर्व फाइटोरेमेडियेशन/बायो रेमेडियेशन के द्वारा उपचारित करने संबंधी विभिन्न वादों के अन्तर्गत समय–समय पर आदेश पारित किये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 673/2018 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 के मुख्य अंश निम्नवत हैं–

.....35. Vide order dated 22.08.2019 in Original Application 200/2014, dealing with the pollution of river Ganga, the Tribunal issued directions and laid down coercive measures to be taken for discharge of untreated sewage in river Ganga:-

..... All the authorities have to be stringent and depict zero tolerance to the pollution of River Ganga. Wherever STPs are not operating, immediate bioremediation and/or phyto-remediation may be undertaken if feasible. To avoid procedural delay of tender processes, etc. specifications and norms for undertaking such activities may be specified in consultation with the CPCB as was earlier directed in our order dated 29.11.2018....

17. Wherever the work has not commenced, it is necessary that no untreated sewage is discharged into the River Ganga. Bioremediation and/or phytoremediation or any other remediation measures may start as an interim measure positively from 01.11.2019, failing which the State may be liable to pay compensation of Rs. 5 Lakhs per month per drain to be deposited with the CPCB.

37. Vide the order dated 11.09.2019, in Original Application No. 06/2012, dealing with river Yamuna, the Tribunal observed as follows:

.....Projects of setting up and upgradation of STPs including setting up of interceptors, laying of sewerage line network etc. have to be completed within strict timelines. Pending such action, immediate bioremediation and/or phytoremediation or any other alternative remediation measure may be undertaken as an interim measure. Pollution of river or water bodies is a criminal offence which needs to be checked by setting up ETPs/CETPs/STPs.....

2– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 22.08.2019 को अनटैप्ड नालों से गंगा नदी में उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने तथा निर्माणाधीन एस0टी0पी0 प्रोजेक्ट्स जोकि निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुए हैं, के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.08.2021 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समस्त अनटैप्ड ड्रेन्स में अंतरिम उपचार हेतु फाइटो रेमेडियेशन की कार्यवाही नगर विकास विभाग के वित्तपोषण से वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा कराये जाने हेतु योजनायें तैयार कर प्रस्तुत की जाय। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.08.2021 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

4– अनटैप्ड ड्रेन्स के अंतरिम उपचार हेतु बायो रेमेडियेशन एवं फाइटो रेमेडियेशन मुख्य प्रचलित विधियां हैं। बायो रेमेडियेशन की विधि बायो कल्चर के माध्यम से उपचार के वित्तीय दृष्टिकोण से व्यवहारिक न होने के कारण प्राकृतिक रूप से उपचार की फाइटोरेमेडियेशन पद्धति को प्राथमिकता दी जानी उचित होगी क्योंकि इस विधि में संचालन व्यय नगण्य होता है। फाइटो रेमेडियेशन पद्धति के अन्तर्गत कम प्रवाह वाली ड्रेन्स में स्थानीय उपयुक्त प्रजाति के पादपों के माध्यम से प्राकृतिक रूप से उपचार किया जाता है। फाइटो रेमेडियेशन पद्धति के माध्यम से उपचार के सम्बंध में संक्षिप्त दिगदर्शिका तथा अन्य तकनीकी साहित्य उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित वेबसाइट http://www.upecp.in/Phytoremediation.aspx पर उपलब्ध है।

5– उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के अंतर्गत किटिकली पाल्यूटेड रिवर्स के भागों से संबंधित अन्टैप्ड ड्रेन्स की सूची तैयार की गयी है, जिनका मौका निरीक्षण कर उनके फाइटोरेमिडियेशन किये जाने हेतु उपयुक्तता का परीक्षण कर योजनायें तैयार की जा सकती है। प्रत्येक जिले में उक्त चिन्हित ड्रेन्स के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त ड्रेन्स को भी चिन्हित करते हुए योजनाओं में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में चिन्हित 14 किटिकली पाल्यूटेड रिवर्स के भागों में मिलने वाली अनटैप्ड ड्रेन्स की जनपदवार सूची संलग्न है।

6– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों/जलाशयों में मिलने वाली उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित अनटैप्ड ड्रेन्स तथा उक्त के अतिरिक्त अपने जनपद में स्थित अन्य ड्रेन्स जो गंगा एवं उसकी सहायक नदियों/जलाशयों को प्रदूषित कर रही हैं, का सर्वे कराकर फाइटो रेमेडियेशन हेतु उपयुक्त अनटैप्ड ड्रेन्स का चिन्हांकन कर जनपद में अनटैप्ड ड्रेन्स के फाइटो रेमेडियेशन हेतु समेकित योजना तैयार कर वित्त पोषण के लिये सम्बंधित नगर निगम/नगर निकाय को उपलब्ध करायें तथा उसकी प्रति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अपर प्रधान वन संरक्षक एवं सामाजिक कृषि वानिकी को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे शासन स्तर से भी उक्त परियोजनाओं के नगर विकास विभाग के माध्यम से वित्त पोषण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–एन.जी.टी.–310(1)/81–7–2021–43(पर्या)/2014 टी0सी0–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक–3

कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना।

पत्रांक 210 /एस0टी0/2023–24 दिनांक 25–10–2023

जिलाधिकारी
मेरठ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0संख्या 511/2023 प्रियांक भारती बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 के अनुपालन में तहसील मवाना में स्थित बूढी गंगा के अभिलेखो की जांच कर आख्या तहसीलदार मवाना से प्राप्त की गई। तहसीलदार मवाना की आख्या मूल रूप से पत्र के साथ संलग्न कर महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

उपजिलाधिकारी
मवाना।

उपरोक्त प्रतिलिपि–:

– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मेरठ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
मवाना।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0संख्या 511/2023 प्रियांक भारती बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 के अनुपालन में तहसील मवाना में स्थित बूढी गंगा के अभिलेखो का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त निम्नवत है–

तहसील मवाना में बूढी गंगा का विवरण

क0	ग्राम का नाम	खतौनी फसली के अनुसार	जोत चकबन्दी आकार पत्र 41–45 के अनसुार	वर्तमान खतौनी का विवरण	क्षेत्रफल में कमी/बेशी होने कारण
1	2	3	4	5	6
1	हस्तिनापुर पाण्डवान	1360 फसली कुल खसरा सं0 –7 कुल रकबा– 193 बीघा, 14 बिस्वां	कुल खसरा सं0 6 कुल रकबा 77बीघा, 2 बिस्वा, 10 बिस्वांसी	कुल खसरा सं0– 3 कुल रकबा – 0.474है0	आवंटन व समय–समय पर हुए आदेश के कारण रकबे में कमी
2	हस्तिनापुर कौरवान	1360फ0– कुल खसरा सं0–2 कुल रकबा 252 बीघा, 2 बिस्वां	कुल खसरा सं0– 2 कुल रकबा–2 बीघा, 15 बिस्वां	कुल खसरा सं0 1 कुल रकबा–1. 278है0	आवंटन व समय–समय पर हुए आदेश के कारण रकबे में कमी
3	अगवानपुर	1360फ0 कुल खसरा सं0–5 कुल रकबा– 214बीघा, 11 बिस्वां	कुल खसरा सं0– 50 कुल रकबा– 202 बीघा, 19 बिस्वां	कुल खसरा सं0–20 कुल रकबा–34. 095है0	चकबन्दी प्रकिया के उपरान्त आवंटन होने के कारण रकबे में कमी
4	मुजफ्फरपुर खुण्टी	1360फ0 कुल खसरा सं0 –7 कुल रकबा 71 बीघा, 15 बिस्वा, 7 बिस्वांसी	कुल खसरा सं0–8 कुल रकबा – 51 बीघा, 3 बिस्वा	कुल खसरा सं0–7 कुल रकबा– 12.281है0	आवंटन के कारण रकबे में कमी
5	बाघपुर	1360फ0 कुल खसरा सं0 –3 कुल रकबा 62 बीघा, 3 बिस्वा,	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 19. 741है0	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 19.741है0	रकबे में वृद्धि
6	अलीपुर मोरना	–	कुल खसरा सं0–18 कुल रकबा – 400 बीघा 5 बिस्वां	कुल खसरा सं0–18 कुल रकबा – 99.323है0	आवंटन के कारण रकबे में कमी
7	इकवारा	–	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 205 बीघा, 6 बिस्वा	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 62.776है0	रकबे में वृद्धि

25/10/23
पीतम सिंह
लेखपाल क्षेत्र हस्तिनापुर कौरवान
तहसील मवाना (मेरठ)

Prince Paushwal 25/10/2023.
प्रिंस पोसवाल
लेखपाल

25-10-23
सचिन लेखपाल
क्षेत्र अलीपुर मोरना

25/10/23
सुरेश शर्मा
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र मादरा

NT (P.garh)
NT (Hastinapur)
Tehsil

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0संख्या 511/2023 प्रियांक भारती बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 के अनुपालन में तहसील मवाना में स्थित बूढी गंगा के अभिलेखो का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त निम्नवत है–

तहसील मवाना में बूढी गंगा का विवरण

क0	ग्राम का नाम	खतौनी फसली के अनुसार	जोत चकबन्दी आकार पत्र 41–45 के अनसुार	वर्तमान खतौनी का विवरण	क्षेत्रफल में कमी/बेशी होने कारण	बूढी गंगा की भूमि पर की गई कार्यवाही व अन्य विवरण।
1	2	3	4	5	6	7
1	हस्तिनापुर पाण्डवान	1360 फसली कुल खसरा सं0 –7 कुल रकबा– 193 बीघा, 14 बिस्वां	कुल खसरा सं0 6 कुल रकबा 77बीघा, 2 बिस्वा, 10 बिस्वांसी	कुल खसरा सं0– 3 कुल रकबा – 0.474है0	आवंटन व समय–समय पर हुए आदेश के कारण रकबे में कमी	चकबन्दी प्रकियाओ के पश्चात बूढ़ी गंगा के खसरा सं0 806 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा व खसरा सं0 896मि0 रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 899ख मि0 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा व खसरा सं0 900ख रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व खसरा सं0 1044 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा व खसरा सं0 1091क मि0 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा 18 बिस्वांशी कुल 06 खसरा नम्बरान कुल रकबा 75 बीघा 4 बिस्वा 18 बिस्वांशी पर विभिन्न प्रस्तावों / स्वीकृति दिनांको मे कृषि आवंटन किया गया। जिनके निरस्तीकरण की आख्या तत्कालीन उपजिलाधिकारी मवाना द्वारा दिनांक 29.08.2008 को मा0 न्यायालय अपर कलेक्टर (प्रशासन) मेरठ को प्रेषित की मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे रिट सं0 75305/2010 श्रीमति ज्योति विश्वास आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि योजित की गयी जिसमे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के आदेश दिनांक 10.11.2010 को दिनांक 23.12.2010 को स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में वाद मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। मा0 उच्च न्यायालय का अन्तिम आदेश संलग्न है।

182

उप जिलाधिकारी
मवाना।

183

2	हस्तिनापुर कौरवान	1360फ0– कुल खसरा सं0–2 कुल रकबा 252 बीघा, 2 बिस्वां	कुल खसरा सं0– 2 कुल रकबा–2 बीघा, 15 बिस्वां	कुल खसरा सं0 1 कुल रकबा–1. 278है0	आवंटन व समय–समय पर हुए आदेश के कारण रकबे में कमी	चकबन्दी प्रकियाओ के पश्चात बूढी गंगा के खसरा सं0 776 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व खसरा सं0 802 रकबा 13 बिस्वा कुल खसरा सं0 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर स्वीकृति दिनांक 15.05.1985 मे कृषि आवंटन किया गया। उपरोक्त कृषि आवंटन के विरूद्ध एक वाद मा0 न्यायालय अपर कलैक्टर (प्रशासन) मेरठ के यहॉ वाद सं0 2 अन्तर्गत धारा 198(4) ज0वि0व भू0 व्य0 अधिनियम बलबीर सिंह आदि बनाम जतिन राम आदि योजित किया गया। उक्त वाद में आदेश दिनांक 31.01. 2006 के क्रम में ग्राम हस्तिनापुर कौरवान परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जनपद मेरठ के गाटा सं0 776 रकबा 0.0531 है0 व गाटा सं0 802 रकबा 0.0164 है0 श्रीमति लीलावती पत्नी कमल सिंह नि0 हस्तिनापुर का पट्टा निरस्त किया जाता हैं तथा विवादित भूमि श्रेणी 6(1) जलमग्न भूमि बूढी गंगा में निहीत की जाती हैं। तदोपरान्त उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 न्यायालय अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के यहां अपील की गयी। जिसमे मा0 न्यायालय द्वारा निगरानी सं0 55/2005–06 लीलावती बनाम बलबीर आदि अन्तर्गत धारा 333 ज0 वि0 अधिनियम स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 31.01.2006 विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त किया जाता हैं। जो वर्तमान खतौनी मे यथावत हैं।
3	अगवानपुर	1360फ0 कुल खसरा सं0–5 कुल रकबा– 214बीघा, 11 बिस्वां	कुल खसरा सं0– 50 कुल रकबा– 202 बीघा, 19 बिस्वां	कुल खसरा सं0–20 कुल रकबा–34. 095है0	चकबन्दी प्रकिया के उपरान्त आवंटन होने के कारण रकबे में कमी	खसरा सं0 2060, 2062, 2063, 2228, 2259, 2264, 2265, 2266, 2270, 2490, 2491, 2500ख, 2502, 2503, 2505, 2506, 2510, 2686, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2822, 2823, 2824, 2831, 2828, 2833, 2836, 2838ख,, 2845, 2846, 2525 पर प्रस्ताव दिनांक 12.07.1970 के कम में तत्कालीन उपजिलाधिकारी मवाना, महोदय द्वारा दिनांक 24.03.1972 को स्वीकृत किये गये कृषि आवंटन के निरस्तीकरण की

उप जिलाधिकारी
मवाना।

						आख्या जिलाधिकारी महोदय को भेज दी गई है। रिपोर्ट संलग्न है।
4	मुजफ्फरपुर खुण्टी	1360फ0 कुल खसरा सं0 –7 कुल रकबा 71 बीघा, 15 बिस्वा, 7 बिस्वांसी	कुल खसरा सं0–8 कुल रकबा – 51 बीघा, 3 बिस्वा	कुल खसरा सं0–7 कुल रकबा– 12.281है0	आवंटन के कारण रकबे में कमी	खतौनी अभिलेख के अनुसार उक्त ग्राम में आवंटन आदेश है, किन्तु अभिलेखागार में आवंटन पत्रावली उपलब्ध नही है।
5	बाघपुर	1360फ0 कुल खसरा सं0 –3 कुल रकबा 62 बीघा, 3 बिस्वा,	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 19. 741है0	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 19.741है0	रकबे में वृद्धि	–
6	अलीपुर मोरना	–	कुल खसरा सं0–18 कुल रकबा – 400 बीघा 5 बिस्वां	कुल खसरा सं0–18 कुल रकबा – 99.323है0	आवंटन के कारण रकबे में कमी	आवंटन निरस्तीकरण का कार्य प्रकिया में है।
7	इकवारा	–	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 205 बीघा, 6 बिस्वा	कुल खसरा सं0–11 कुल रकबा – 62.776है0	रकबे में वृद्धि	–

उप जिलाधिकारी
मवाना।

184

Court No. - 6

Case :- WRIT - C No. - 75305 of 2010

Petitioner :- Smt. Jyoti Vishwas & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- R.B. Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Vikram Nath,J.

Heard the learned counsel for the petitioners.

The argument advanced on behalf of the petitioners is that the cancellation proceedings were barred by Section 198(6) of the U.P.Z.A. & L.R. Act.

Admit.

Issue notice.

Till further orders of this Court the effect and operation of the impugned order dated 10.11.2010, passed by the respondent no.2 shall remain stayed.

Order Date :- 23.12.2010
pk

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए०संख्या 511/2023 प्रियांक भारती बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 के अनुपालन में ग्राम अगवानपुर द्वितीय में ...त चकबन्दी आकार पत्र 41-45 में स्थित बूढ़ी गंगा का अवलोकन किया गया, जिसमें खसरा सं० 1972/40-09-00, 2060/42-11-00, 2062/01-06-00, 2063/01-06-00, 2104/01-07-00, 2106/03-00-00, 2226/04-03-00, 2228/08-10-00, 2258/01-00-00, 2259/02-00-00, 2264/00-08-00, 2265/00-05-00, 2266/00-07-00, 2270/00-17-00, 2229/01-10-00, 2490/01-07-00, 2491/01-04-00, 2500ख/01-00-00, 2502/00-07-00, 2503/00-13-00, 2501/01-00-00, 2505/00-10-00, 2506/00-10-00, 2510/00-13-00, 2530/00-08-00, 2686/04-18-00, 2689/02-00-00, 2690घ/30-16-00, 2691/00-15-00, 2812/07-17-00, 2813/00-10-00, 2814/01-04-00, 2815/01-12-00, 2816/01-12-00, 2817/03-00-00, 2819/00-07-00, 2820/00-05-00, 2822/00-10-00, 2823/11-11-00, 2824/00-13-00, 2831/01-00-00, 2828/01-08-00, 2833/01-10-00, 2836/01-05-00, 2838ख/00-03-00, 2844/01-15-00, 2845/01-02-00, 2846/00-15-00, 2525/00-18-00, 2850/09-02-00 बीघा कुल खसरा सं० 50कुल रकबा 202-19-00(202 बीघा, 19 बिस्वां) बढ़ गंगा के नाम श्रेणी 6-1(जलमग्न) दर्ज है।

उपरोक्त खसरा नम्बरान में खसरा सं० 2060, 2062, 2063, 2228, 2259, 2264, 2265, 2266, 2270, 2490, 2491, 2500ख, 2502, 2503, 2505, 2506, 2510, 2686, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2822, 2823, 2824, 2831, 2828, 2833, 2836, 2838ख,, 2845, 2846, 2525 पर प्रस्ताव दिनांक 12.07.1970 के क्रम में तत्कालीन उपजिलाधिकारी मवाना, महोदय द्वारा दिनांक 24.03.1972 को कृषि आवंटन स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि आवंटित किये गये समस्त खसरा नम्बरान वर्तमान अभिलेख खतौनी में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

चूंकि बढ़ गंगा श्रेणी 6-1(जलमग्न) की भूमि तत्समय उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 132 की भूमि थी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 की भूमि है, जिस पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की **धारा 59** के प्रावधानो के तहत धारा 77 की भूमि पर आवंटन नही किया जाता है। अतः प्रस्ताव दिनांक 12.07.1970 के क्रम में दिनांक 24.03.1972 को किये गये आवंटन विधि विरूद्ध है, जिन्हे निरस्त कर पुनः बढ़ गंगा की श्रेणी में किया जाना उचित होगा।

अतः रिपोर्ट के साथ संलग्न सूची, जो दिनांक 24.03.1972 को किये गये आवंटियो के पक्ष में किये गये कृषि आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु आख्या सादर सेवा में प्रस्तुत है।

Prince Paushwal
19/10/2023
प्रिंस पासवाल
लेखपाल

महोदय,
रि० उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रेषित है।
19/10/2023
NT

महोदय,
NT आख्या सादर अग्रसारित।
19/10/23

महोदय, संस्तुति सहित अग्रसारित।
19/10/23

क्र0	प्रस्ताव दिनांक 12.07.1970 के क्रम में दिनांक 24.03.1972 को किये गये आवंटन का विवरण			वर्तमान अभिलेखो के अनुसार दर्ज खातेदारो का विवरण		
	खसरा सं0	रकबा (बीघा में)	आवंटी का नाम/पिता का नाम	खसरा सं0	रकबा(हे0) में	खातेदार का नाम/पिता का नाम/पता
1	2	3	4	5	6	7
1	2814	01–04–00	राम सिंह पुत्र खचेडू	2814	0.3040	जितेन्द्र कुमार, अजीत कुमार पुत्रगण राम सिंह निवासी ग्राम, श्रीमती सुमरती पत्नी स्व0 धर्मा निवासी ग्राम जटौला,
	2815	01–12–00		2815	0.4050	
	2816	01–12–00		2816	0.4050	
	2817/2	01–00–00		2817मि0	0.2530	
	2819	00–07–00		2819	0.0890	
	2828	01–08–00		2828	0.3540	
2	2836	01–05–00	दलीप पुत्र हरसिंह	2836	0.3160	राजेन्द्र, सोमेन्द्र पाल पुत्रगण दलीप सिंह निवासी ग्राम
	2838	00–03–00		2838	0.1260	
3	2823मि0	05–00–00	होराम पुत्र छज्जन	2823मि0/2	1.2650	फूल कुमार, राजकुमार पुत्रगण कालू, अजय कुमार पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम, श्रीमती मेवा देवी पत्नी मदनलाल निवासी म067, अनूप नगर फाजलपुर मेरठ।
4	2686मि0	01–10–00	भिकारी पुत्र वहाल	2686मि0	0.3790	चतरपाल पुत्र भिकारी निवासी ग्राम
	2812/1	00–10–00		2812/1	0.1260	
	2813	00–10–00		2813	0.1260	
5	2500मि0	00–08–00	सोहन पुत्र विहारी	2500मि0	0.1010	क्षमेन्द्रदत्त उर्फ कालूराम पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम
	2502	00–07–00		2502	0.0890	
	2503	00–13–00		2503	0.1640	
	2505	00–10–00		2505	0.1260	
	2506	00–10–00		2506	0.1260	
	2510	00–13–00		2510	0.1640	
	2525	00–17–00		2525मि0	0.2150	
6	2228मि0	01–00–00	अल्लामेहर पुत्र चन्दा	2228/1	0.2530	अखलाक अहमद खां पुत्र मौ0 शाह खां निवासी ग्राम
7	2062मि0	00–16–00	मु0 कलावती बेवा बुद्धन	2062मि0	0.2020	रणजीत पुत्र गोविन्द निवासी ग्राम
	2063	01–01–00		2063	0.2660	
	2060मि0	00–15–00		2060मि0	0.1900	
	2820	00–05–00		2820	0.0630	क्षमेन्द्रदत्त उर्फ कालूराम पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम
	2822	00–10–00		2822	0.1260	
	2824	00–13–00		2824	0.1640	
8	2831	01–00–00	झब्बर पुत्र बख्शी	2831	0.2530	हुरसपाल, ओमबीर, विजेपाल, विक्रम सिंह पुत्रगण झब्बर निवासी ग्राम
	2846मि0	00–09–00		2846मि0	0.1140	
9	2060मि0	03–00–00	गुरमुख सिंह पुत्र हजूर सिंह	2060मि0/2	0.7590	गुरमुख सिंह पुत्र हजूर सिंह निवासी ग्राम
10	2270मि0	00–12–00	वहीद पुत्र गुलशेरा	2270मि0	0.1520	इकबाल पुत्र वहीद व जुल्फिकार अहमद पुत्र अजीज निवासी ग्राम
	2490मि0	01–00–00		2490मि0	0.2530	मानू खां पुत्र अब्दुल अजीज उर्फ जीजू खां, यासर, अफसर, मेहरा पुत्रगण रिजवान खां, निदा पुत्री रिजवान खां, नायबा ना0बा0 आयु 17 वर्ष पुत्री रिजवान खा सं0 मुमताज माता, श्रीमती मुमताज पत्नी रिजवान खां, श्रीमती परवीन खां पत्नी सुक्खे निवासी ग्राम हाल निवासी दिल्ली, जीशान, फेजान, फरमान, शाहनवाज, हैदर
	2491मि0	01–00–00		2491मि0	0.2530	

लेखपाल राजस्व निरीक्षक क्षेत्र 19/10/2023

						पुत्रगण सुक्खे निवासी ग्राम हाल निवासी दिल्ली, श्रीमती रामो पत्नी अनिल निवासी ग्राम नीमका
11	2270मि0	00–05–00	अब्दुल हकीम पुत्र गुलशेरा	2270मि0	0.0630	इकबाल पुत्र वहीद व जुल्फिकार अहमद पुत्र अजीज निवासी ग्राम
	2266	00–07–00		2266मि0	0.0890	
	2265मि0	00–03–00		2265मि0	0.0380	
12	2259	02–00–00	रजा अ0खां पुत्र मौ0 शाह खां	2259	0.5060	श्रीमती नैय्यर खान पत्नी इन्तजार अहमद खां निवासी ग्राम, श्रीमती शहजादी बेगम पत्नी नजमुद्दीन खां, कु0 शमा परवीन पुत्री नजमुद्दीन खां निवासी मौ0 तिहाई मवाना।
	2264	00–08–00		2264	0.1010	
	2265	00–02–00		2265मि0	0.0250	
13	2228मि0	07–10–00	अखलाक अ0 खां पुत्र मौ0 शाह खां	2228मि0 / 2	1.8970	कशमीरा सिंह पत्नी हाकम सिंह, दलीप सिंह पुत्र हाकम सिंह निवासी ग्राम
14	2845	01–02–00	फूल सिंह पुत्र बिहारी	2845मि0	0.2780	श्रीमती कमलेश पत्नी नीलपत सिंह निवासी 108, ब्लॉक जी0, जगतपुरी दिल्ली
	2846मि0	00–06–00		2846मि0	0.0760	
15	2833	01–10–00	रामवीर पुत्र खचेडू	2833मि0	0.1770	महेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू, सुन्दर सिंह पुत्रगण गोपाल सिंह निवासी ग्राम नीमका
				2833मि0	0.2020	कल्लू पुत्र जीराम निवासी मीरपुर साधो नंगली हाल निवासी नीमका

Prince Paushwal 19/10/2023
प्रिंस पासवाल
लेखपाल

R.I. माछरा
19/10/2023
RT

SDM(M)